



संख्या- 89 /2026/1/ 1284357 /2026/71-1001(099)/143/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उOप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/679, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल ₹0 545.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-24-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि कुल ₹0 310.00 लाख (₹0 तीन करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (निम्नानुसार एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिOशिO का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त माँग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में प्र०वि० स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	29 अनुरक्षण	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
2	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	39 औषधि तथा रसायन	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
3	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र)
महायोग				3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 30-03-2026
17:52:25

भवदीय,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-001-71-1001-099-143-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग
031	2210051050324	03	16,80,00,000	94,00,000	50,00,000	50,00,000	16,30,00,000
	(राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)	(मंहगाई भत्ता)	रुपये सोलह करोड़ अस्सी लाख मात्र	रुपये चौरानबे लाख मात्र	रुपये पचास लाख मात्र	रुपये पचास लाख मात्र	रुपये सोलह करोड़ तीस लाख मात्र
031	2210051050324	01	32,28,00,000	2,12,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000	30,28,00,000
	(राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)	(वेतन)	रुपये बत्तीस करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र	रुपये दो करोड़ बारह लाख मात्र	रुपये दो करोड़ मात्र	रुपये दो करोड़ मात्र	रुपये तीस करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र
031	2210011101509	01	20,18,00,000	8,14,00,000	2,95,00,000	60,00,000	19,58,00,000
	(नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर)	(वेतन)	रुपये बीस करोड़ अठारह लाख मात्र	रुपये आठ करोड़ चौदह लाख मात्र	रुपये दो करोड़ पंचानबे लाख मात्र	रुपये साठ लाख मात्र	रुपये उन्नीस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र
कुल					₹ 5,45,00,000	₹ 3,10,00,000	

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050324	43	3,55,00,000	1,25,00,000	50,00,000	4,05,00,000	2025-2026
	(राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)	(सामग्री एवं)	रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र	रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	रुपये पचास लाख मात्र	रुपये चार करोड़ पाँच लाख मात्र	
कुल				₹ 5,45,00,000	₹ 3,10,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		सम्पूर्ति)		मात्र			
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)	42 (अन्य व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)	39 (औषधि तथा रसायन)	10,50,00,000 रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	11,75,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़)	29 (अनुरक्षण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	1,35,00,000 रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,45,00,000	₹ 3,10,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹0 295.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹0 200.00 लाख तथा मानक मद-03-महंगाई भत्ता में ₹0 50.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 545.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 13.03.2026 द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के मानक मद-29 अनुरक्षण में ₹0 200.00 लाख, मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में ₹0 200.00 लाख, मानक मद-42-अन्य व्यय में ₹0 20.00 लाख तथा मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में ₹0 125.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 545.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

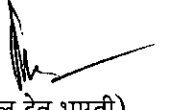
संख्या: RE-budget-1-661-E-3-440-X-2025-26-दिनांक: 24-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ०प्र०, प्रयागराज


(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।


(कपिल देव भारती)

उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।